<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 77 / 2017

रामलोचन आदि बनाम संतकुमार आदि

<u>11.03.2019</u>-

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु संख्या 2 पर सुना गया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-2</u>

वाद बिन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्प मूल्यांकित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि कीमतीं भूमि है तथा आबादी भूमि है, वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन बहुत कम किया गया है। वहीं वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि का मूल्याकंन साधारण लगान के आधार पर किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में विवादित भूमि को संक्रमणीय भूमिधरी बतायी गई है तथा वादी द्वारा दाखिल खसरा खतौनी में भी विवादित भूमि संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वाद का मूल्यांकन वार्षिक लगान के आधार पर किया गया है। वादीगण द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वाद बिन्दु संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विरूध्द प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु संख्या-3 के निस्तारण हेतु दिनांक-18.03.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ-चित्रकूट।